



Neutral Citation No - 2026:AHC:166582

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7773**

**सन् 2026**

दीपक

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

---

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

रामानंद तिवारी, शिव शरण त्रिपाठी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या - 71**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला**

1. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने सूचित किया है कि प्रकरण की नोटिस सूचनाकर्ता को दिनांक 10.07.2026 को कराई जा चुकी है, लेकिन सूचनाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 82 सन् 2022 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 323, 307 और डी.पी. एक्ट की धारा 3/4, थाना- छर्छा, जिला अलीगढ़ में दायर की गई है। इसमें उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पीड़िता का पति है। सह-अभियुक्त सतवीर उर्फ सतबीर सिंह, आशु नागर, नूतन और श्रीमती हैं, जो आवेदक के परिवार के सदस्य हैं, जिनमें आवेदक के माता-पिता भी शामिल हैं, उन्हें इस न्यायालय ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2063 सन् 2026 में अग्रिम जमानत दे दी है। घायल व्यक्ति को लगी चोटों में से कोई भी गंभीर या जानलेवा नहीं बताई गई है। इस प्रकरण के अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और अब आवेदक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, हालाँकि, वे इस तथ्य को नकार नहीं सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

7. विवेचना के दौरान आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया था। अभिलेख से पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही में प्रकरण को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, लेकिन वह आदेश दिनांक 08.10.2025 को रद्द कर दिया गया। अब आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और आवेदक को अब हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है।

8. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

9. उपरोक्त को देखते हुए, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

10. आवेदक - दीपक को आज से चार हफ्ते के अंदर विचारण न्यायालय के सामने पेश होना होगा और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानत भरने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

i. आवेदक को तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होना होगा, जब तक कि विचारण न्यायालय उसे छूट न दे।



ii. आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

11. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

10 अगस्त, 2026

ए. पांडे